

फर्द अहकाम

(नियम-26)

अज अदालत सहायक कलक्टर (एस.डी.एम.) मुकाम नावां (डीडवाना-कुचामन)

प्रार्थी

राधादेवी


किस्म प्रकरण : प्रा. पत्र 212 (2)

बनाम

अप्रार्थीगण

मेवाराम वगैरह

संख्या 151/2021

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये।
10.02.2025	<p>वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रकरण हाजा से संबंधित मूल वाद संख्या 95/2021 अधीन धारा 88, 53, 188 आर.टी.एक्ट व प्रार्थना पत्र संख्या 91/2021 अधीन धारा 212 आर.टी.एक्ट अनुवान राधादेवी बनाम मेवाराम वगैरह जरिये विड्रॉल प्रार्थना पत्र के खारिज किया जा चुका है। मूल वाद एवं मूल प्रार्थना पत्र के खारिज हो जाने से प्रार्थना पत्र हाजा अधीन धारा 212 (2) पोषणीय नहीं रहा है। अतः मूल प्रकरणों के निस्तारण हो जाने तथा प्रकरण हाजा के पोषणीय नहीं रहने से उक्त प्रार्थना पत्र प्रकरण इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। प्रकरण अपने नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।</p> <p style="text-align: center;"> (जीतू कुलहरी) उपखण्ड अधिकारी, नावां</p>	